बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

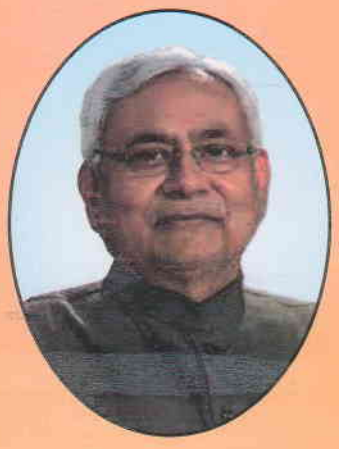

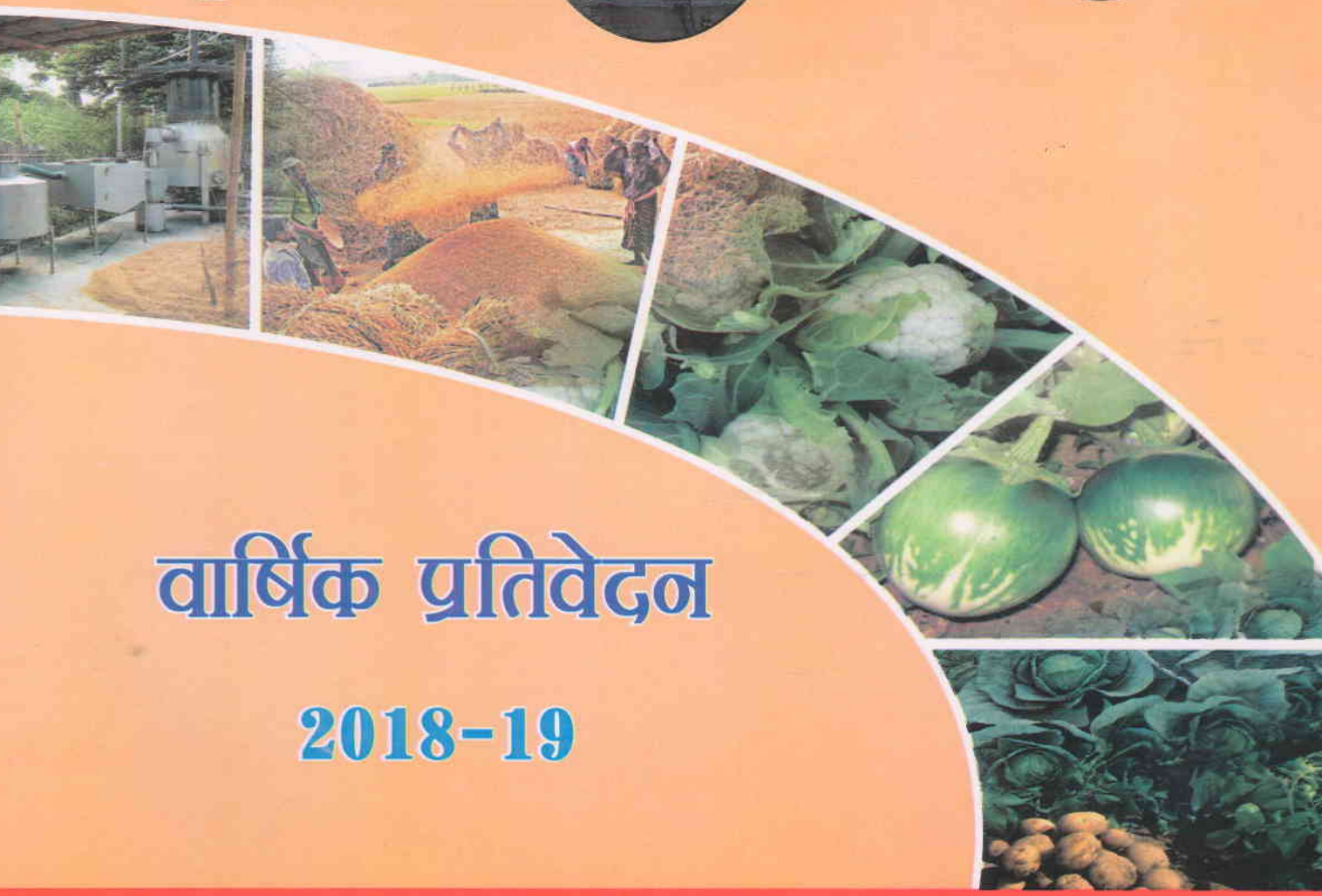

वार्षिक प्रतिवेदन

2018-19

गाँव-घर, खेत-खलिहान का समग्र विकास सहकारिता के साथ

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2018-19

परिदृश्य

सहकारिता विभाग का वर्ष 2018–19 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहकारिता एक सशक्त माध्यम है इसलिये ''भारतीय संविधान के 97–वे संशोधन'' द्वारा देश के नागरिकों को सहकारी–समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और राज्यों को सहकारी–समितियों के गठन एवं विकास का दायित्व सौपा गया है। सहकारिता को एक मूल्य आधारित सशक्त आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाना वर्तमान समय की माँग है। वर्तमान समय में सहकारिता क्षेत्र में कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना एवं फसलों की क्षति होने पर फसल बीमा के माध्यम से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना आदि कार्य किया जा रहा है।

राज्य के अधिकतम कृषकों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पहुँचे तथा अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता हो इस उद्देश्य से कृषकों का "online" निबंधन एवं पर्यवेक्षण/अनुश्रवण के साथ–साथ "RTGS/ NEFT" के माध्यम से भुगतान उनके बैंक खाता में करने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार राज्य में वैसे कृषकों से भी धान की अधिप्राप्ति कर रही है जो किसी अन्य के भूमि पर धान का उत्पादन करते है। ऐसे गैर–रैयती कृषक (बटाईदार किसान आदि) से अधिकतम 75 क्विन्टल धान की अधिप्राप्ति की जा रही है।

राज्य में धान अधिप्राप्ति हेतु कुल 600 करोड़ रूपये की राशि बिहार राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराया गया है इस प्रयोजन के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० को राज्य सरकार की गारंटी पर 500 करोड़ का अतिरिक्त ऋण नाबार्ड एवं अन्य सहकारी संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष धान में नमी की मात्रा अधिक पाये जाने के कारण राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के द्वारा नमी की मानक मात्रा को 17% से बढ़ाकर 19% की गई है।

धान अधिप्राप्ति के व्यवसाय में लगे पैक्सों एवं व्यापार मंडलों की उत्साहवर्द्धन के उद्देश्य से पैक्सों को आपूर्त्ति की गई चावल का 10 रू० प्रति क्विन्टल, जिला सहकारी अधिकोष को 5 रू० प्रति क्विन्टल तथा राज्य सहकारी बैंक को 0.50 रू० प्रति क्विन्टल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य के संचालन हेतु वर्ष 2017–18 से कार्यशील पूँजी के रूप में 7% की दर पर ऋण की व्यवस्था की गई है। जिसके फलस्वरूप सहकारी बैंको के माध्यम से पैक्सों को 8% की दर पर कैश–क्रेडिट ऋण प्रदान की जा रही है, जो पैक्सों के लिए लाभकारी होगा।

राज्य के पैक्सों में स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के प्रयोजन से ''मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना'' लागू की गई है। जिसके तहत पैक्स वित्तीय प्रबंधन, विकास कार्यों के प्रबंधन, व्यापार बढ़ावा एवं सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन आदि निर्धारित मापदंडों के आधार पर आधारित है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक अनुमण्डल के 2 (दो) पैक्सों एवं राज्य स्तर पर 3 (तीन) पैक्सों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किये जाने की योजना है। अनुमण्डल स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले पैक्सों को क्रमशः 10, 07 एवं 05 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने की योजना है। पैक्सों में कर्मियों के कार्यों की क्षमता में वृद्धि एवं पारदर्शिता तथा पैक्सों के कार्यों का पर्यवेक्षण मुख्यालय एवं जिला स्तर से भी सहजता से होने के उद्देश्य से राज्य के 6248 (छः हजार दो सौ अड़तालीस) कार्यशील पैक्सों को प्रथम चरण में कम्प्युटरीकरण हेतु विभागीय पत्रांक–11076 दिनांक–21.12.2018 द्वारा नाबार्ड को प्रेषित है।

सहकारी संस्थाओं में वितीय अनुशासन बना रहे इस उद्देश्य से विभागीय अंकेक्षकों एवं सनदी लेखाकारों की सहायता से लगभग 90 प्रतिशत पैक्सों का अंकेक्षण करा लिया गया है।

सहकारिता आंदोलन का मूल आधार अधिकाधिक जन–भागीदारी है। इस जन–भागीदारी के लिये पैक्सों में सदस्यता का आवेदन ''ऑन–लाईन'' प्राप्त किया जा रहा है। सदस्यता हेतु ऑन–लाईन आवेदकों की संख्या अभी तक 3.96 लाख हो गई है।

राज्य में सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले एवं उपभोक्ताओं को बाजार से अपेक्षाकृत कम मूल्य पर तथा अधिक गुणवत्ता के साथ सब्जी उपलब्ध हो, के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था करने के साथ–साथ उत्पादों का मूल्य–संवर्द्धन हेतु त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना का आधार तैयार किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के पाँच जिलों यथा वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालन्दा एवं पटना में प्रखण्ड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ का गठन प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में सब्जी उत्पादकों की करीब 93 प्राथमिक सहकारी समितियों का निबंधन किया जा चुका है। योजना की Branding की गई है। बिहार की सब्जी का Brand Name ''तरकारी'' होगा।

राज्य सरकार द्वारा फसल की क्षति होने पर क्षतिपूर्ति हेतु किसानों के हित में बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया गया है। इस योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2018 में निबंधित किसानों की संख्या–11,50,528 एवं रबी वर्ष 2018–19 में निबंधित किसानों की संख्या–2,75,753 अब तक हो चुकी है।

राज्य के सभी व्यापार मंडल एवं पैक्सों के पदधारकों की कार्य क्षमता निर्मा एवं वृद्धि के उद्देश्य से 1.08 लाख पदधारकों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु 32.34 करोड़ रुपये का एक रोड मैप बर्ड लखनऊ की संस्थान–सी०पेक० से तैयार कराई गई है, जिसे आगामी निर्वाचन में आने वाले नव–निर्वाचित पदधारकों के लिए लागू किये जाने की योजना है।

इस प्रकार, सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने का प्रयास किया जा रहा है।

(राणा रणधीर)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1–2
2	विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ	3–5
3	योजनायें एवं उपलब्धियाँ	6–19
	i. समेकित सहकारी विकास परियोजना	6–11
	ii बिहार राज्य त्रिस्तरीय सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना	12
	iii फसल बीमा	13–14
	iv अधिप्राप्ति	15
	v कृषि रोड मैप (2017–22)	16
	vi भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि	17
	vii धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	17
	Viii ड्रायर की स्थापना	18
	ix सहकार भवन	18
	x वार्षिक योजना	19
4	सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ	20–23
	i अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)	20
	ii. राज्य सहकारी बैंक लि॰	21
	iii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰	22
	iv. प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)	23
5	सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण	24
6	महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान	25–26
	i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा	25
	ii. बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰	25
	iii. बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि॰	25
	iv. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार	26
	v प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	26
	vi. व्यापार मंडल	26
7	बिहार राज्य भंडार निगम	27–30
8	सहकारिता विभाग में आई०टी० का समावेश	31–32
परिशिष्ठ– I	विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ	33
परिशिष्ठ– II	राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	34
परिशिष्ठ– III	विभिन्न योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन	35–36
परिशिष्ठ–IV	विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	37
परिशिष्ठ–V	सहकारिता विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय	38–39

1. प्रस्तावना

वर्ष 2018–19 में सहकारिता विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन बिहार सरकार के "न्याय के साथ समग्र विकास" की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु आपके समक्ष उपस्थापित है। राज्य के सहकारी आन्दोलन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। सहकारी अर्थव्यवस्था आर्थिक जगत के निजी अर्थव्यवस्था एवं सरकारी अर्थव्यवस्था के बीच एक मध्यम मार्ग है। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के दौर में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से समावेशी विकास आवश्यक है। इस कड़ी में समाज के वंचित वर्ग, छोटे उत्पादकों एवं महिलाओं के समुहों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने हेतु वर्त्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के विभाजन के पश्चात् राज्य के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार कृषि और कृषि से संबद्ध अन्य क्षेत्र है।

सहकारिता विभाग राज्य के किसानों के हित में कृषि रोड–मैप के माध्यम से वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिवेश में सहकारिता को और अधिक प्रासंगिक एवं सबल बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। चूँकि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार ग्रामीण क्षेत्र ही है, जिसकी उपेक्षा कर सशक्त भारत के निर्माण की कल्पना नही की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहकारिता की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी–नीतियों में व्यापक परिवर्तन लाया गया है। सहकारिता को और जनोपयोगी बनाने के लिये अनेक संस्थागत सुधार किए गए हैं तथा सहकारिता के कार्यकलापों को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 में आवश्यक संशोधन भी किये गये हैं।

बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में महत्त्वपूर्ण संशोधन करते हुए इसके अंतर्गत निबंधित समितियों में उनकी प्रबंधकारिणी का निर्वाचन अब स्वतंत्र एवं पारदर्शी रूप से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जा रहा है।

बिहार की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करने के लिए विगत वर्षों में जिन कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गयी है वे निम्नवत हैं :–

- भारत के संविधान में किये गये 97वें संशोधन के अनुरूप बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के प्रावधान में संशोधन किये गये हैं। सहकारी समितियों के प्रबंधन में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ–साथ 50% स्थान क्षैतिज आरक्षण के रूप में महिलाओं के लिये सुरक्षित किये गये हैं।
- पैक्सों को व्यापक जनाधार वाली संस्था के रूप में विकसित करने हेतु सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत पंचायत के प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक व्यक्ति को सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके तहत ऑनलाईन आवेदन पैक्सों में सदस्यता हेतु 3.96 लाख प्राप्त है। साथ ही, पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (PACS) में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर जनतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलंबी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित सभी प्रकार की कार्यरत सहकारी समितियों का बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल की गई है।
- प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सभी श्रेणी के किसानों के हित में एक समावेशी योजना के रूप में खरीफ 2018 मौसम से बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य में लागू की गई है।
- वर्ष 2017–18 में 93 चावल मिल की स्थापना हेतु 77.45 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से 69.69 करोड़ रूपये राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2017–18 में 35 (बैकलॉग का) चावल मिल–सह–गैसीफायर की

स्थापना की जा चुकी है एवं वर्ष 2018–19 में अबतक (बैकलॉग सहित) 42 पैक्सों/व्यापार मंडलों में चावल मिल की स्थापना कार्य पूर्ण हो चुका है।

- वर्ष 2017–18 में 35 एवं 2018–19 में अबतक 42 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल का निर्माण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा कराते हुए अबतक 422 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की जा चुकी है, एवं 117 (बैकलॉग सहित) चावल मिल निर्माणाधीन/लम्बित है।
- भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु बिहार कृषि रोड मैप योजना अतंर्गत वितीय वर्ष 2012–17 तक बिहार राज्य भण्डार निगम के लिए 10.00 लाख मे॰ टन क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध 2018–19 तक 3.10 लाख मे॰ टन गोदाम क्षमता का अभिवृद्धि हो चुका है।
- वर्ष 2012–17 में कृषि रोड मैप अन्तर्गत पैक्स/व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता के सृजन का लक्ष्य 10.75 लाख मे0 टन निर्धारित की गयी हैं इस लक्ष्य के अनुरूप वर्त्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 5554 पैक्स/व्यापार मंडलों में 1000/500/200 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया जा चुका है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 11.144 लाख मे॰टन है, जबकि 494 गोदाम निर्माणाधीन है जिससे 0. 999 लाख मे॰टन क्षमता का निर्माण हो सकेगा।
- खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 में दिनांक 04.02.2019 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से 3.13 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति कर ली गई है।
- मुख्यमंत्री नवाचार योजना अन्तर्गत राज्य में सब्जी के उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन हेतु सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। अभी तक विभिन्न जिलों में 93 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी कृषक सहयोग समितियों का निबंधन किया गया है।
- समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत पैक्सों/व्यापार मंडलों के आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। इस परियोजनान्तर्गत गोदाम निर्माण, चावल मिल एवं गैसीफायर का भी निर्माण कराया जा रहा हैं साथ ही रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों यथा मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, मुर्गी पालन एवं मधुमक्खी पालन का कियान्वयन भी किया जा रहा हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का क्षमता वर्द्धन कार्यक्रम, प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना एवं चयनित समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विस्तार तथा पणन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन कार्यो के लिए आधारभूत संरचना के विकास के साथ–साथ समितियों में व्यवसाय विकास के लिए मार्जिन मनी के रूप में सहायता देने का प्रावधान है।
- मानव संसाधन के विकास हेतु गहन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्त्तमान में राज्य के 10 जिलों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है तथा 16 जिलों में इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
- राज्य के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है एवं सभी सहकारी बैंको द्वारा Core Banking Solution (CBS) के अंतर्गत कार्य संचालित किया जा रहा है। राज्य के सहकारी बैंको की कार्य–कुशलता को अन्य व्यवसायिक बैंको के समतुल्य बनाने के उद्देश्य से भारत की प्रतिष्ठित संस्थान आई0 बी0 पी0 एस0 के माध्यम से वर्ष 2016 में 436 सहायक एवं अब तक कुल 123 सहायक–प्रबंधक की नियुक्ति की जा चुकी है। साथ ही इस वर्ष 326 सहायक एवं 108 सहायक प्रबंधक की नियुक्ति की जा रही है। राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिये 128 ए0 टी0 एम0, 500 माईक्रो ए0 टी0 एम0 एवं 15 मोबाईल वैन ए0 टी0 एम0 का सफल संचालन किया जा रहा है। यहाँ उल्लेखनीय हैं कि नाबार्ड से राज्य के सहकारी बैंकों में कुल 136 ए0 टी0 एम0 एवं 715 माईक्रो ए0 टी0 एम0 एवं 23 मोबाईल वैन ए0 टी0 एम0 स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। ग्राहकों के बीच लगभग 2.16 लाख रूपे/किसान क्रेडिट कार्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए0 टी0 एम0 कार्ड वितरित किया गया है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति की गई है।

2. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

क्र.सं.	योजना	बीमित कृषकों की संख्या	बीमित राशि/उपलब्धि
1.	(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (रबी 2017–18)	11,02,023	4688.19 करोड़ रू. का फसल बीमित
	(ख) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2018)	निबंधित किसानों की संख्या 11,50,528	
	(ग) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2018–19)	निबंधित किसानों की संख्या–2,75,753	
2.	**अधिप्राप्ति**		
	(क) खरीफ 2017–18 मौसम (धान)/(सी.एम.आर.)	5132 पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा	11.84 लाख मे.टन धान, 7.80 मे.टन. (सी.एम.आर.)
	(ख) खरीफ 2018–19 मौसम (धान)	6118 (चयनित) 4936 (कार्यशील)	14.24 लाख मे.टन (औपबंधिक)
3.	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राज्य योजना**		
	(क) वर्ष 2017–18 में पैक्स/व्यापारमंडल में गोदाम निर्माण हेतु	लक्ष्य (राज्य योजना) 914	उपलब्धि (राज्य योजना, RKVY) 196 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
	(ख) वर्ष 2017–18 में पैक्स/व्यापार मंडल में गैसीफायर–सह–चावल मिल की स्थापना हेतु।	80 पैक्स/व्यापारमंडल चावल मिल (ड्रायर सहित) एवं 13 पैक्स/व्यापारमंडल (ड्रायर रहित) कुल–93	35 पूर्ण (बैकलॉग सहित)
4.	**कृषि रोड मैप**		
	(क) वर्ष 2018–19 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य–1250	लक्ष्य–175 करोड़ रू.। स्वीकृत 83.9042 करोड़ रू. के सापेक्ष में, 83.13 करोड़ रू. जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है।
	(ख) वर्ष 2018–19 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना	लक्ष्य–90	लक्ष्य–69.975 करोड़ रू.। 6 समितियों में 4.647 करोड़ रू० राशि की निकासी जिला द्वारा की गई है।
5.	**समेकित सहकारी विकास परियोजना**		
	(क) पूर्व में कार्यान्वित जिले	गोपालगंज, मधुबनी, गया, सीतामढ़ी, आरा, छपरा, सीवान, कैमूर, खगड़िया एवं शिवहर	11,919.02000 लाख रू. की लागत से।
	(ख) कार्यान्वित किये जा रहे जिले	वैशाली, नालन्दा, जहानाबाद, अररिया,मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, बेतिया एवं पूर्णियाँ (वैशाली एवं नालंदा जिले की परियोजना अवधि दिनांक 31 .12.2018 को समाप्त हो गयी है।)	61,833.54000 लाख रू. की लागत से।

	(ग) जिला जो आच्छादन के प्रक्रिया में है।	16 जिला लखीसराय, जमुई, अरवल, पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बाँका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, किशनगंज, मधेपुरा, शेखपुरा एवं समस्तीपुर	
	समेकित सहकारी विकास परियोजना की भौतिक उपलब्धि		
	(क) पैक्सों में गोदाम निर्माण (पूर्व में कार्यान्वित किये गये जिलों में)	968	
	(ख) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	868 का कार्यादेश निर्गत, 673 पूर्ण, 195 निर्माणाधीन	
	(ग) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (पूर्व में कार्यान्वित किये गये जिलों में)	74	
	(घ) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	24 का कार्यादेश निर्गत, 20 पूर्ण, 4 निर्माणाधीन	
	(ङ) परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षित सहकारी समितियों के पद धारक/सदस्य	पूर्व में कार्यान्वित जिलों में 151388	कार्यान्वित की जा रही जिलों में 3144 (मार्च 2019 तक)
	समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक उपलब्धि (वर्ष 2018–19)	8263.55 लाख रूपये का व्यवसाय (मार्च 2019 तक)	
6.	**अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण**		
	(क) वर्ष 2018–19 खरीफ मौसम हेतु।	सदस्य– 48984	13691.11 लाख रूपये वितरित
	(ख) वर्ष 2018–19 में रबी मौसम हेतु। दिनांक–31.12.2018 तक	सदस्य–10830	3348.54 लाख रूपये वितरित
	(ग) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण। दिनांक–31.12.2018 तक	986225 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत।	139807.22 लाख़ रूपये स्वीकृत
7.	**बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना**		
	योजनान्तर्गत त्रि–स्तरीय सहकारी व्यवस्था के तहत प्रखंड स्तर पर पाँच जिलों (पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा) में कुल–93 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का निबंधन हो चुका है।	वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल मो॰ 20.39 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।	बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड स्तरीय समितियों को 20 लाख 60 हजार रूपये अधिसंरचना स्थापित करने हेतु दिए जाने है। जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी, ऋण (ब्याज सहित/ब्याज रहित) एवं अनुदान दिया जाना है।

8.	**पैक्सों में सदस्यता अभियान**		
	राज्य में कुल 8463 पैक्सों में 11664441 (एक करोड़ सोलह लाख चौसठ हजार चार सौ एकतालीस) सदस्य है जिसमें 35.95 (पैतीस लाख पंचानवें हजार) लाख महिलायें है।	पैक्सों में सदस्यता वृद्वि के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 05.10.2017 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके तहत् अब तक पैक्सों में सदस्यता के लिए 3.96 लाख आवेदन प्राप्त है।	
9.	**मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना**		
	राज्य के सभी 8463 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2019–20 (दो वार्षिक चरण) में केन्द्रीय स्कीम अन्तर्गत एन॰सी॰डी॰सी॰, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपूर्ति के आधार पर सम्पोषित "मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना"।	इस योजना के लिए कुल मो॰ 169260.00 (सोलह अरब वेरानवे करोड़ साठ लाख) रूपयें की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रति पैक्स 20.00 लाख रू0 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु दी जानी है।	राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50 % अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। पैक्सों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 05 (पाँच) वर्षों में 10 (दस) किस्तों में सूद सहित वसूल की जायेगी।
10.	**सहकार भवन**		
	सहकारिता विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक स्थान पर अवस्थित कराने के उद्देश्य से सहकार भवन का निर्माण।	राज्य योजना अंतर्गत कुल लागत 35.22 करोड़ से दो प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी एवं 12 जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज एवं आरा कुल 14 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।	
11.	**पैक्स कम्प्युटरीकरण**		
	भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चरणबद्व तरीके से तीन वित्तीय वर्षों में पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।	इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 8463 पैक्सों के कम्प्युटरीकरण के लिये खर्च का वहन 60 % भारत सरकार 35 % राज्य सरकार एवं 5% संबंधित समिति द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यशील पैक्सों की सूची नाबार्ड को प्रेषित कर दिया गया है।	
12.	**मुख्यमंत्री आर्दश पैक्स प्रोत्साहन योजना**		
	सुशासन के कार्यक्रम 2016–20 में पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करने हेतु स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से "मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स योजना" लागू की गयी है।	इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अनुमंडल के 2 पैक्सों एवं राज्य स्तर पर 3 पैक्सों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किये जाने की योजना है।	अनुमंडल स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख, तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले पैक्सों को क्रमशः 10, 07 एवं 05 पाँच लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, ताकि वे अपने कार्यो में वृद्धि कर सकें।

2. योजनायें एवं उपलब्धियाँ

I. समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य में सहकारिता को सबल बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से परियोजनाएँ चलायी जा रही है। इस परियोजना के तहत जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों/व्यापार मंडलों में :–

- अधिसंरचना निर्माण (गोदाम –सह– कार्यालय)।
- व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना है।
- मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि का भी विकास करना है।

इस योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को ऋण एवं अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का अनुपात करीब 25 प्रतिशत है। यह राशि निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति (Re-imbursement) के आधार पर उपलब्ध करायी गयी है। योजना से कार्यान्वयन हेतु स्थापना आदि खर्च के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि में निगम एवं राज्य सरकार का अनुपात 50–50 का है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक साख, विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के निमित्त राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष उस जिला, जहाँ यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, के जिला पदाधिकारी होते हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक चयन समिति भी गठित है।

इस परियोजना के तहत् मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान हो जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
पूर्व में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

1. परियोजना लागत एवं व्यय (राशि लाख रु॰ में)

क्रम	जिला का नाम	ऋण	हिस्सा पूंजी	अनुदान	कुल योग	कुल व्यय 31.08.2017 तक
1	2	3	4	5	6	7
1	गोपालगंज	295.62	631.62	292.00	1,219.24	1,153.91
2	मधुबनी	287.65	704.47	212.80	1,204.92	1,179.07
3	गया	313.34	607.68	215.39	1,136.41	1,059.18
4	सीतामढ़ी	299.15	517.70	218.63	1,035.48	1,019.67
5	आरा	304.68	645.95	162.60	1,113.23	1,080.76
6	छपरा	280.60	673.50	205.62	1,159.72	1,068.98
7	सीवान	296.57	683.08	164.57	1,144.22	1,090.67
8	कैमूर	750.72	40.77	337.11	1,128.60	1,084.55
9	खगड़िया	1,055.25	68.49	468.11	1,591.85	1,183.55
10	शिवहर	698.80	131.28	355.27	1,185.35	984.00
	कुल योग :	**4,582.38**	**4,704.54**	**2,632.10**	**11,919.02**	**10,904.34**

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण		व्यापार मंडल गोदाम निर्माण	
		कुल लक्ष्य	उपलब्धि (31.12.2017 तक)	कुल लक्ष्य	उपलब्धि (31.12.2017 तक)
1	2	3	4	5	6
1	गोपालगंज	130	130	9	9
2	मधुबनी	110	110	12	12
3	गया	118	114	12	9
4	सीतामढ़ी	100	91	12	10
5	आरा	105	104	16	14
6	छपरा	104	99	14	10
7	सीवान	100	98	15	10
8	कैमूर	74	74	0	0
9	खगड़िया	81	71	3	0
10	शिवहर	46	46	0	0
	कुल योग :	**968**	**937**	**93**	**74**

3. व्यवसाय विकास

(राशि लाख रु॰ में)

क्रम	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2016–17 (मार्च 17 तक)	वर्ष 2017–18 (अगस्त 17 तक)
1	2	3	4
1	कृषि (खाद एवं बीज)	1,418.72	777.84
2	अधिप्राप्ति	1,391.02	-
4	उपभोक्ता / पी॰डी॰एस॰	314.08	349.45
5	जमा वृद्धि	45.10	94.30
6	उपभोक्ता ऋण	27.40	66.10
कुल योग :		**3,196.32**	**1,287.69**

4 प्रशिक्षण

क्रम	प्रशिक्षण	परियोजना प्रारंभ से समापन तक
1	2	3
1	प्रबंधक	1283
2	अध्यक्ष	1510
3	कार्यकारिणी सदस्य	17582
4	सामान्य सदस्य	129821
5	अन्य	1192
कुल योग :		**151388**

समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
वर्त्तमान में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

1. परियोजना लागत, प्राप्त एवं व्यय (राशि लाख रु॰ में)

क्रम	जिला का नाम	कुल लागत राशि				कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय 31.03.2018तक	कुल व्यय 2018–19 (मार्च 2019 तक)	कुल व्यय
		ऋण/चक्रीय पूंजी	हिस्सा पूंजी/एल॰डी॰/यू॰डी॰ के अतिरिक्त	अनुदान	कुल योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वैशाली	2,664.69000	334.12500	1,217.93500	4,216.75000	4,118.35000	3,290.75000	171.20000	3,461.95000
2	नालंदा	2,070.51200	293.95000	916.75800	3,281.22000	3,184.97000	2,515.05000	239.97000	2,755.02000
3	जहानाबाद	605.07500	415.84500	431.31000	1,452.23000	1,325.52000	989.99500	262.77100	1,252.76600
4	अररिया	1,572.55000	826.52500	1,108.27500	3,507.35000	3,327.71000	1,825.35000	1,073.61200	2,898.96200
5	मोतिहारी	4,157.35000	2,316.92000	2,377.46000	8,851.73000	8,435.33000	3648.71000	1,070.59000	4,719.30000
6	औरंगाबाद	5,422.02000	2,857.26000	3,029.26000	11,308.54000	6,355.91000	2,143.41000	1,835.40000	3,978.81000
7	बेगूसराय	2,903.81500	1,486.51800	1,846.23200	6,236.56500	3,932.37400	145.48000	335.71400	481.19400
8	बेतिया	3,925.66750	1,999.28375	2,397.17375	8,322.12500	4,115.18000	357.23200	393.93800	751.17000
9	दरभंगा	4,050.70000	2,025.35000	2,483.13000	8,559.18000	4,774.18000	895.78500	1,280.53200	2,176.31700
10	पूर्णियाँ	2,633.62000	1,363.68500	1,689.54500	5,686.85000	3,870.73300	377.35000	693.54600	1,070.89600
11	रा॰अनु॰को॰	-	-	411.00000	411.00000	247.40000	197.20000	50.20000	247.40000
	कुल योग :	30,005.99950	13,919.46175	17,908.07875	61,833.54000	43,687.65700	16,386.31200	7,407.47300	23,793.78500

नोट : समेकित सहकारी विकास परियोजना, वैशाली एवं नालंदा की परियोजना अवधि दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण			व्यापार मंडल का गोदाम निर्माण		
		गोदाम निर्माण का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ/पूर्ण	गोदाम निर्माण/मरम्मति का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ/पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वैशाली	172	168	168 / 164	7	7	7 / 6
2	नालंदा	123	123	123 / 123	6	6	6 / 6
3	जहानाबाद	39	39	39 / 39	5	5	5 / 3
4	अररिया	125	115	115 / 110	3	3	3 / 1
5	मोतीहारी	230	164	164 / 136	21	8	8 / 5
6	औरंगाबाद	115	77	77 / 21	9	3	3 / 3
7	बेगुसराय	137	11	11 / 0	12	1	1 / 1
8	बेतिया	100	47	47 / 10	12	0	0 / 0
9	दरभंगा	175	69	69 / 45	10	1	1 / 0
10	पूर्णियाँ	150	55	55 / 25	11	3	3 / 1
	कुल योग :	1366	868	868 / 673	96	37	37 / 26

3. व्यवसाय विकास

(राशि लाख रु. में)

क्रम	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2017–18 (मार्च 18 तक)	वर्ष 2018–19 (मार्च 2019 तक)
1	2	3	4
1	कृषि (खाद एवं बीज)	**5,009.88**	**1,434.82**
2	अधिप्राप्ति	**24,528.16**	**3,265.73**
3	उपभोक्ता व्यवसाय	**2,520.77**	**2,133.76**
4	जमा वृद्धि	**1,667.77**	**1,429.24**
कुल योग :		**33,726.58**	**8,263.55**

4. प्रशिक्षण

क्रम	प्रशिक्षण	वर्ष 2017–18 (मार्च 18 तक)	वर्ष 2018–19 (मार्च 2019 तक)
1	2	3	3
1	प्रबंधक	**343**	**251**
2	अध्यक्ष	**441**	**355**
3	कार्यकारिणी सदस्य	**237**	**10**
4	सामान्य सदस्य	**1370**	**12**
5	सेल्समैन/अन्य	**104**	**21**
कुल योग :		**2495**	**649**

समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत अन्य उपलब्धियाँ

- 12 समितियों में चावल मिल की स्थापना
- 56 समितियों में गैसीफायर सहित चावल मिल की स्थापना
- 273 पैक्सों में पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मति।
- 73 समितियों में प्याज भंडारण हेतु गोदाम का निर्माण।
- 8 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता।
- 115 समितियों में कम्पोजिट ईकाई की स्थापना
- 5 समितियों में दाल मिल की स्थापना
- 35 समितियों में एग्री क्लिनीक की स्थापना
- 591 वर्मी कम्पोस्ट ईकाई की स्थापना
- 15 कार्यालय –सह– बिक्री केन्द्र की स्थापना
- 1 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
- 9 सब्जी विपणन केन्द्र की स्थापना
- 1 मधु प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना
- 20 ई–सेन्टर की स्थापना
- 60 मुर्गी पालन केन्द्र की स्थापना
- खगड़िया जिला में 1 सूर्यमुखी प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना
- खगड़िया जिला में 1 सोयाबीन प्रोसेंसिंग ईकाई की स्थापना
- खगड़िया जिला में 2 मुर्गी दाना आहार ईकाई की स्थापना
- नालंदा जिला में 5 समितियों में ग्रामीण विधुतीकरण हेतु गैसीफायर की स्थापना।
- मधुबनी जिला में 1 समिति में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना
- सीवान जिला में 1 बुनकर सहयोग समिति में गैसीफायर की स्थापना
- भोजपुर (आरा) जिला में 1 व्यापार मंडल में एल॰पी॰जी॰ गोदाम की स्थापना
- 26 महिला सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 46 बुनकर सहयोग समितियों को शेड, लूम, डाई प्लांट इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 200 समितियों में सिंचाई हेतु पंप सेट (बोर बेल) हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 252 मत्स्य पालकों को हेचरी, जाल, बोट, आईस बॉक्स के साथ साइकिल हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 310 मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 3 समितियों को फ्लोरिकल्चर हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 3 समितियों को फल–सब्जी के विपणन हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 50 समितियों को बकरी पालन हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना

आच्छादित किये जाने वाले जिलों के संबंध में प्रतिवेदन

01. परियोजना प्रारंभ करने हेतु एन॰सी॰डी॰सी॰ से स्वीकृति की प्रक्रिया अंतर्गत जिला – सहरसा, सुपौल, कटिहार, नवादा, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, लखीसराय, अरवल, जमुई, बांका एवं समस्तीपुर।
02. आच्छादन की प्रक्रिया अंतर्गत जिले – मुंगेर, किशनगंज, मधेपुरा एवं शेखपुरा।
03. द्वितीय चरण में आच्छादन की प्रक्रिया अंतर्गत जिले – बक्सर, सासाराम, गोपालगंज, मधुबनी, गया एवं सीतामढ़ी।

II. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना, बिहार, पटना का प्रगति प्रतिवेदन

- सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सब्जी उत्पादकों एवं ग्राहकों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से Virtuous Cycle स्थापित करना है, जिससे सब्जी उत्पादकों को उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिल सके तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सब्जी की सुनिश्चित आपूर्त्ति प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर हो सके।
- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में त्रिस्तरीय (राज्य स्तर, जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर) सहकारी संरचना के माध्यम से उपभोक्ता उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करना है।
- इस योजनान्तर्गत पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जिलों यथा पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं नालंदा का चयन किया गया है।
- उक्त पाँच जिलों को सम्मिलित कर एक हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰ का गठन कर लिया गया है।
- योजना की Branding की गई है। बिहार की सब्जी का Brand Name "तरकारी" होगा।
- परियोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय सहकारी व्यवस्था के तहत प्रखंड स्तर पर पाँच जिलों में कुल 93 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ का निबंधन हो चुका है।
- प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादकों से सब्जी का संग्रहण कर, Sorting, Grading, सब्जी हाट, लघु शीत भंडारण आदि की व्यवस्था हेतु अब तक 44 प्रखण्डों में 10,000 वर्गफीट (प्रति प्रखण्ड) भूमि को चिन्हित कर लिया गया है।
- राज्य स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन का गठन किया जाना है।
- योजना के संचालन हेतु Project Management Unit (PMU) के रूप में प्राईस वाटर हॉउस कूपर्स प्रा॰ लि॰ की नियुक्ति कर ली गई है।
- सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना से संबंधित वेबसाईट www.tarkaari.org का निर्माण करा लिया गया है।
- राज्य में सहकारी प्रक्षेत्र के माध्यम से सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपये 20.39 (बीस करोड़ उनचालिस लाख) व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
- दिनांक 05.03.2019 को माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग द्वारा योजना का उद्घाटन किया जा चुका है।
- हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि०, पटना द्वारा तत्कालीन व्यवस्था के तहत वाहनों के माध्यम से पटना शहर में सब्जियों के बिक्री का कार्य किया जा रहा है।
- यह योजना बिहार राज्य के कृषि अर्थव्यवस्था हेतु मील का पत्थर साबित होगा।

III. बिहार राज्य फसल सहायता योजना

प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सभी श्रेणी के किसानों के हित में एक समावेशी योजना के रूप में खरीफ 2018 मौसम से बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य में लागू की गई है।

1. उद्देश्य :– प्राकृतिक आपदाओं यथा–बाढ़, सुखाड़ तुषारापात आदि कारणों से फसलों के उत्पादन में हुए ह्रास की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए, उन्हें आगामी फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना इस योजना का मूल उद्देश्य है।

2. इन्डेमनिटि स्तर :– राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 70 प्रतिशत इन्डेमनिटि स्तर का प्रावधान किया गया है।

3. बिहार राज्य फसल सहायता योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है :–

(i) आच्छादित क्षेत्र :– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा फसल कटनी हेतु अधिसूचित क्षेत्र योजनान्तर्गत आच्छादित होंगे।

(ii) आच्छादित फसल :– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचित फसलों में से इस योजना के प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) द्वारा चयनित फसल आच्छादित फसल माना जाएगा।

(iii) आच्छादित किसान :–

(क) रैयत किसान :– ऐसे सभी किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हो।

(ख) गैर–रैयत किसान :– ऐसे सभी किसान जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हो। गैर–रैयत किसान श्रेणी में एक परिवार (आर्थिक–सामाजिक जनगणना के अनुसार) से एक सदस्य इस योजना के तहत् निबंधन करा सकेंगे।

नोट :– ऐसे किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करने के साथ–साथ दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें इस योजना के तहत् आच्छादित होने के दृष्टिगत रैयत अथवा गैर–रैयत में से एक ही विकल्प चुनना होगा।

(iv) आवेदन पत्र :– इस योजना के तहत् आच्छादन हेतु सभी इच्छुक किसानों को प्रत्येक मौसम में योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन निबंधन कराना अनिवार्य है। ऑनलाईन निबंधन के द्वारा ही आवेदन मान्य होगा तथा अनिबंधित किसानों का आवेदन अमान्य होगा।

4. फसल कटनी प्रयोग :– इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 04 एवं प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम 16 तथा प्रत्येक जिला स्तरीय फसल हेतु 24 फसल कटनी प्रयोग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित करना अपेक्षित है।

5. योजना का नोडल विभाग :– इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सहकारिता विभाग नोडल विभाग है। नोडल विभाग इस योजना हेतु गठित राज्य स्तरतीय समन्वय समिति (SLCC) के अनुमोदन से इस योजना हेतु कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु सक्षम है।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समय–सीमा :– बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ मौसम का मई से जुलाई माह तक एवं रबी मौसम का अक्टूबर से दिसम्बर माह तक पात्र किसानों का ऑनलाईन निबंधन अवधि निर्धारित है।

7. सहायता राशि का मूल्यांकन एवं सहायता राशि की अधिसीमा :–

(i) अधिसूचित फसल हेतु संबंधित पंचायत/प्रखण्ड का विगत 07 वर्षों के औसत उपज दर पर निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज दर के सापेक्ष वर्त्तमान मौसम में संबंधित फसल के फसल कटनी प्रतिवेदन के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज दर में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत में) की गणना करते हुए अधिकतम 02 हेक्टेयर भूमि हेतु सहायता राशि अनुमान्य होगी।

(ii) थ्रेशहोल्ड उपज दर के सापेक्ष वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत तक ह्रास की स्थिति में 7,500 रूपये प्रति हेक्टेयर के दर से अधिकतम 15,000 रूपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(iii) थ्रेशहोल्ड उपज दर के सापेक्ष वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत से ज्यादा ह्रास की स्थिति में 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 20,000 रूपये सहायता राशि अनुमान्य है।

8. सहायता राशि की स्वीकृति एवं भुगतान :– निबंधित किसानों के लिए फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर अनुमान्य सहायता राशि ऑनलाईन पोर्टल पर स्वतः परिकलित एवं परिलक्षित होने के पश्चात् बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ पटना द्वारा किसानों के खाते में DBT के माध्यम से सहायता राशि हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

(i) इस योजना के तहत् किसानों को कोई राशि नहीं देनी है, बैंक नहीं जाना है तथा सहायता राशि स्वतः उनके खाते में हस्तांतरित होनी है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना की प्रगति निम्नवत है :–

क्र॰ सं॰	मौसम का नाम	निबंधित किसानो की संख्यां	रैयत किसानों	गैर–रैयत किसानों	लाभान्वित कृषकों की संख्या (वर्त्तमान में)	सहायता राशि का भुगतान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खरीफ 2018	11,50,527	5,15,25 8	6,35,269	1,24,748	1,31,27,62,496/–	शेष किसानों को सहायता राशि भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन है।
2	रबी 2018–19	17,54,350	8,65,807	8,88,543	—	—	किसानों का सत्यापन कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् सहायता राशि भुगतान किया जायेगा।

IV. अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु अधिप्राप्ति एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में धान के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कृषकों को आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाने में अधिप्राप्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है।

- वर्ष 2018–19 के लिए 30.00 लाख मे०टन धान क्रय का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष 2018–19 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (साधारण धान) 1750/– रुपये एवं ग्रेड A धान के लिए 1770/– रुपये प्रति क्विंटल अधिसूचित किया गया है।
- वर्ष 2018–19 अंतर्गत किसानों को गनी बैग मद में रू० 25/– प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ भुगतान किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका लाभ किसानों को प्राप्त हो रहा है।
- वर्ष 2018–19 में अधिप्राप्ति कार्य को और अधिक पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु किसानों के निबंधन में कृषि विभाग की निबंधन संख्या को अनिवार्य बनाया गया है।
- रैयत कृषकों के लिए धान बिक्री की सीमा को प्रति कृषक 200 क्विंटल एवं गैर रैयत कृषकों के लिए प्रति कृषक 75 क्विंटल किया गया है ।
- वर्ष 2018–19 अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अन्तर्गत प्रति कृषक धान बेचने की सीमा गत वर्ष की भाँति दो है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को प्राप्त हो रहा है।
- इस वर्ष अधिप्राप्ति कार्य के प्रारंभ में ही (दिनांक 24.12.2018) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में धान में व्याप्त नमी की मात्रा के मानक को (17%) से बढ़ाकर मानक 19% कर दिया गया है।
- नमी प्रबंधन हेतु सहकारिता विभाग के स्तर से राईस मिल वाले पैक्स/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।
- अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण पारदर्शिता हेतु Online Procurement Management System के अन्तर्गत Mobile Application के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य का संचालन, पर्यवेक्षण किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में इस वर्ष किसानों का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन 48 घण्टे के भीतर किये जाने का प्रावधान है।
- पारदर्शी व्यवस्था अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये धान एवं उसके भुगतान सहित सभी प्रकार के आंकड़े Public Domain के माध्यम से सर्वसुलभ किये गये है।

वर्ष	(मात्रा लाख मे०टन)	
	लक्ष्य	उपलब्धि
2014–15	24 .00	19 .01
2015–16	27 .00	18 .23
2016–17	30 .00 (सांकेतिक)	18 .42
2017–18	30 .00 (सांकेतिक)	11 .84
2018–19	30 .00 (सांकेतिक)	14 .24 (औपबंधिक)

V. कृषि रोड मैप (2017–2022)

राज्य के कृषि रोड मैप 2017–22 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सहकारी समितियाँ अधिसंरचनात्मक–संस्थागत–तकनीकी–प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रभावकारी हस्तक्षेप के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कृतसंकल्पित है। आधारभूत संरचना खासकर भंडारण क्षमता में वृद्धि, विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर की स्थापना, सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का कार्यान्वयन, किसानों को कृषि आदानों की उपलब्धता, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन रोड मैप के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभाग महत्वपूर्ण पहल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पैक्सों का सुदृढ़ीकरण एवं सदस्यता वृद्धि, पैक्सों का कम्प्यूटराईजेशन तथा सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास क्षमता निर्माण हेतु परिकल्पित हैं।

1. आधारभूत संरचना का विकास :–

(क) सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण :– वर्तमान में सहकारी समितियों की कुल भंडारण क्षमता 9.943 लाख मे॰ टन है। 2017–2022 की अवधि में इसमें 10 लाख मे॰ टन क्षमता की और वृद्धि की जानी है, जिसका अनुमानित व्यय 700 करोड़ रुपये है।

(ख) 02 मे॰ टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर की स्थापना :– अधिप्राप्ति को सहज बनाने तथा राज्य खाद्य निगम को ससमय चावल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 2017 से 2022 की अवधि में पैक्स/व्यापार मंडलों में 260 विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनुमानित व्यय 201 करोड़ रुपये है।

2. बिहार सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना :–

राज्य के सब्जी उत्पादन, संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु यह अत्यंत अहम् योजना है, जिसका क्रियान्वयन त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के माध्यम से इस प्रकार किया जायेगा कि सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध हो सके। इस योजना को कृषि रोड मैप 2017–2022 में शामिल किया गया है। प्रथम चरण में पाँच जिलों–पटना, नालन्दा, बेगूसराय, समस्तीपुर एवं वैशाली को मिलाकर एक सब्जी उत्पादक सहकारी संघ का गठन प्रस्तावित है तथा द्वितीय चरण में तीन और संघों का गठन किया जायेगा।

3. संस्थागत विकास :–

(क) पैक्सों में सदस्यता अभियान :– प्रत्येक परिवार से कम–से–कम एक सदस्य विशेषकर महिलाओं को पैक्स का सदस्य बनाया जाना है, जिसके निमित्त ऑनलाईन आवेदन हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। पैक्सों की वर्तमान सदस्यता 1.16 करोड़ के आस–पास है।

(ख) पैक्सों का कम्प्यूटराईजेशन :– 2017–18 से प्रारम्भ होते हुए अगले तीन वर्षो में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। इस योजना के लागू होने से पैक्सों का कार्यकलाप पारदर्शी एवं प्रभावकारी हो जायेगा।

(ग) आर्दश पैक्स योजना :– सभी जिलों के चुनिंदा पैक्सों/व्यापार मंडलों को कृषि उपकरण बैंक के रूप में विकसित किया जायेगा, जहाँ कृषकों को कृषि कार्य करने हेतु आवश्यक संसाधन एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे।

4. समेकित सहकारी विकास परियोजना का विस्तार :–

राज्य के सहकारी समितियों के समग्र विकास हेतु समेकित सहकारी विकास परियोजना का विस्तार राज्य के वैसे जिलों में किया जायेगा, जो अभी तक इस परियोजना से अनाच्छादित हैं। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, जिससे कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन हो सके। अगले पाँच वर्षों में परियोजना के कार्यक्रमों पर 400 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि का व्यय किया जायेगा।

5. मानव संसाधन विकास :–

कृषि रोड मैप 2017–2022 के अंतर्गत सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा का आधुनिकीकरण, सदस्यों एवं विभागीय कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के कार्यक्रम प्रावधानित हैं, जिस हेतु 38.81 करोड़ की राशि खर्च की जानी है।

VI. भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि

राज्य में भंडारण क्षमता की कमी हो देखते हुए सरकार द्वारा कृषि रोड मैप (2012–17) में इसे प्राथमिकता देते हुए प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया तथा इसके तहत वर्ष 2017 तक, पैक्स व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता के गोदाम का निर्माण कराते हुए सहकारी क्षेत्र में भंडारण क्षमता में कुल 10.75 लाख मे॰टन अभिवृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध कृषि रोड मैप 2012–17 अंतर्गत विगत 05 वर्ष में राज्य योजना के माध्यम से कुल 2996 पैक्सों/व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता का गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र के भंडारण क्षमता में 6.859 लाख मे॰टन की अभिवृद्धि करायी गई।

कृषि रोड मैप (2017–22) में पैक्स/व्यापार मंडल में विभिन्न क्षमता के गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि राज्य के सभी 8463 पैक्स एवं 520 व्यापार मंडल का अपना गोदाम उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 128 करोड़ रूपये के लागत से 914 पैक्स/व्यापार मंडलों में कम से कम 200 मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा 277 पैक्स/व्यापार मंडलों को 38.78 करोड रूपया राशि उपलब्ध कराते हुए 196 गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.501 लाख मे॰टन क्षमता में अभिवृद्धि हुई है।

वर्ष 2018–19 में 175 करोड़ रूपये के लागंत से सहकारी क्षेत्र में पैक्स/व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण कराते हुए 2.50 लाख मे॰टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध 389 पैक्स/व्यापार मंडलों को 83.13 करोड़ रूपये की राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2018–19 में (बैकलॉग सहित) 332 पैक्स/व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.704 लाख मे॰टन क्षमता में अभिवृद्धि हुई है।

वर्त्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 5554 पैक्स/व्यापार मंडलों में 1000/500/200 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया जा चुका है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 11.144 लाख मे॰टन है, जबकि 494 गोदाम निर्माणाधीन है जिससे 0.999 लाख मे॰टन क्षमता का निर्माण हो सकेगा।

VII. धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

राज्य में पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के प्रसंस्करण हेतु कृषि रोड मैप (2012–17) में कुल 350 चावल मिल गैसीफायर संयंत्र के साथ RKVY योजना के माध्यम से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध 345 चावल मिल–सह–गैसीफायर संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया था, जिसमें वर्ष 2016–17 में निर्मित 62 चावल मिल (बैकलॉग के साथ) भी सन्निहित था।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 में 35 एवं 2018–19 में अबतक 42 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल का निर्माण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा कराते हुए अबतक 422 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की जा चुकी है, एवं 117 (बैकलॉग सहित) चावल मिल निर्माणाधीन/लम्बित है।

कृषि रोड मैप (2017–22) में कुल 260 पैक्स/व्यापार मंडलों में 02 मे॰टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर के साथ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध वर्ष 2017–18 में 80 चावल मिल के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत दी गई है। साथ ही, 13 चावल मिल जो वर्ष 2016–17 में निर्मित कराया जाना था, किन्तु कतिपय कारण से इसका निर्माण नहीं हो पाया था, उसका भी वर्ष 2017–18 में पुर्नवैधिकरण किया गया है। फलतः वर्ष 2017–18 में 93 चावल मिल की स्थापना हेतु 77.45 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से 69.69 करोड़ रूपये राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2017–18 में 35 (बैकलॉग का) चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की चुकी है एवं वर्ष 2018–19 में अबतक (बैकलॉग सहित) 42 पैक्सों/व्यापार मंडलों में चावल मिल की स्थापना कार्य पूर्ण हो चुका है।

VIII. ड्रायर की स्थापना

पैक्स / व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान के नमी प्रबंधन हेतु राज्य में पूर्व से स्थापित चावल मिल के साथ विभाग द्वारा 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो आगामी 05 वर्ष में phasewise कुल 441 पूर्व स्थापित / निर्माणाधीन स्वीकृत चावल मिल के साथ लगाये जायेंगे।

इस योजना के तहत् वर्ष 2017–18 में 40 पैक्स / व्यापार मंडलों में स्थापित करने हेतु आवश्यक राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें 27 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है शेष का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

वर्ष 2018–19 में 38 पैक्स / व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु कुल 6.84 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है जो निर्माणाधीन / प्रक्रियाधीन है।

IX. सहकार भवन

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में बेहतर प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने, उनके कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने एवं अभिलेखों के उचित रख–रखाव के उद्देश्य से एक ही परिसर में स्थान आवंटित करने के लिए संकल्प संख्या–3485 दिनांक–07.11.2017 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला में सहकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में **G+2** एवं अन्य जिला मुख्यालय में **G+1** सहकार भवन का निर्माण किया जाना है। प्रमंडल स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय, सहायक निबंधक का कार्यालय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय हेतु स्थान आवंटित है। प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक हेतु स्थान आवंटित है तथा द्वितीय तल पर उत्कृष्टता केन्द्र के लिए स्थान निर्धारित है जिला स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय तथा प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए स्थान निर्धारित है।

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को समेकित रूप से स्थान आवंटित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में सहकार भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में सहकार भवन निर्माण हेतु राज्य योजना अन्तर्गत कुल लागत 35.22 करोड़ (पैतीस करोड़ बाइस लाख रूपये मात्र) से दो प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी (सहरसा) एवं 12 (बारह) जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बाँका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज एवं आरा में कुल–14 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

X. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2018–19 के लिए राज्य योजना अन्तर्गत 171431.01 लाख रू॰ (पुनरीक्षित) का उपबंध स्वीकृत था जिसके विरूद्ध राज्य योजनान्तर्गत 167232.90 लाख रू॰ का व्यय किया गया।

वर्ष 2018–19 के लिए मदवार उपबधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :– (31.03.2019 तक)

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम		उपबंधित राशि			व्यय की गयी राशि
			राज्य योजना पुनरीक्षित	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	
1	2		3	4	5	6
1	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		102.54		102.54	102.54
2	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		40278.14		40278.14	40278.13
3	सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार		196.31		196.31	89.69
4	सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय		176.79		176.79	154.28
5	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान		8390.42		8390.42	8313.43
6	बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि हेतु ऋण (अधिप्राप्ति)		80000.00		80000.00	80000.00
7	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन		2039.00		2039.00	2039.00
8	बिहार राज्य फसल सहायता योजना		31823.00		31823.00	31823.00
9	पैक्सों/व्यापारमंडलों में ड्रायर की स्थापना		684.00		684.00	684.00
10	प्रबंधकीय अनुदान		2368.47		2368.47	2368.47
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना)	केन्द्रांश	2382.50		2382.50	1097.66
		राज्यांश	1022.34		1022.34	185.88
12	माँग संख्या–03 के अंतर्गत सहकारिता विभाग के भवनों का निर्माण		1967.50		1967.50	96.82
	(क) राज्य स्कीम का योग		**171431.01**		**171431.01**	**167232.90**

4. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ की लगभग 80% आबादी कृषि पर ही आधारित है। खास कर बिहार विभाजन के पश्चात् इस राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर निर्भर रहने वाले विशेष कर सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने कृषि इनपुटस की व्यवस्था करने तथा कृषि उपज की विपणन की व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से की जा रही है तथा सहकारिता विभाग इसमे सतत् प्रत्यनशील है।

I. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराने के निमित सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि. नाबार्ड से पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में तथा ससमय अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से 31.12.2018 तक 986225 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 139807.22 लाख रू. स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सभी किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों को Debit-cum-Rupay card मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरूप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक प्रजातांत्रिक, सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाया गया है।

विगत 5 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है :–

(रू. लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
2013–14	80000.00	30761.66	38.45%
2014–15	100000.00	38088.51	38.09%
2015–16	100000.00	45562.64	45.62%
2016–17	100000.00	36149.00	36%
2017–18	103636.00	30772.86	29.69%
2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)	60063	17039.65	28.45%

विगत 5 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण मांग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है :–

(रू. लाख में)

वर्ष	मांग	वसूली	प्रतिशत
2013–14	68995.41	22421.58	32.50%
2014–15	70087.73	24328.53	34.71%
2015–16	72531.53	33285.83	45.89%
2016–17	75495.27	27122.41	35.93%
2017–18	77894.60	29834.73	38.30%
2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)	75039.10	15011.66	20.01%

II. राज्य सहकारी बैंक लि.

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनान्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक नाबार्ड से पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 11 शाखायें कार्यरत हैं जो सभी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ–साथ गैर कृषि यथा व्यैक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्त्तन आया है जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के लिए उनके साख जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ–साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखओं मे कोर बैंकिंग लागू है। वर्त्तमान में शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी नियामक मापदण्डों का अनुपालन कर रही है।

विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰सं॰	विवरण	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	29.03.2019
1	2	3	4	5	6	7
1	हिस्सा पूंजी	1938.09	2673.86	3000.37	3000.37	2954.60
2	स्टेच्यूटरी रिजर्व	9629.38	11852.47	13291.10	14738.97	16720.44
3	अन्य रिजर्व	19769.52	23841.91	26509.98	28739.98	30574.29
4	ओन्ड फण्ड	59493.37	59356.70	56875.78	60987.64	60987.64
5	जमा	184643.57	223650.50	137720.91	116183.75	137466.79
6	उधार	87426.26	82499.34	145293.83	80981.08	80981.08
7	कार्यशील पूंजी	359380.77	408826.73	377876.95	300655.50	338125.90
8	निवेश	158792.04	147776.68	144199.03	73731.03	73731.03
9	वकाया ऋण	161439.67	205512.07	195086.52	200510.98	221607.55
10	अन डिस्ट्रीव्यूटेड प्रोफिट	6351.69	3596.58	3619.66	3962.95	3962.95
11	ग्रौस एन॰पी॰ए॰	19732.09	21248.99	8812.56	7718.69	10125.45

III. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी क काम करता है। यह मध्यवर्त्ती वित्त पोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन शत् प्रतिशत कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन में सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होते हैं। राज्य में कुल 22 (बाईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इन 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 18 केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने स्रोत से भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम थे परन्तु 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ यथा पूर्णियाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। उन चारों केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के 6406.00 लाख रू॰ वित्तीय सहायता प्रदान कर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कराने हेतु सक्षम बनाया गया फलस्वरूप आज राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गया है। राज्य में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुर परिसमापनाधीन है। इन जिलों में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने के निमित राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रहा है। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है उन जिलों मे केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा उनके शाखा कम्प्यूटरीकृत है। साथ ही सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰सं॰	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	हिस्सा पूंजी	जमा राशि	सुरक्षित निधि	ऋण एवं अग्रिम	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7
1	नालंदा	1052.56	15641.68	1225.18	12632.01	27.96
2	पाटलीपुत्रा	751.34	30374.10	4898.82	13191.64	32.39
3	मगध (गया)	674.62	5314.20	1702.28	8723.64	8.08
4	नवादा	1933.96	10125.34	2772.29	13164.91	12.07
5	आरा	880.82	32515.51	1521.27	9564.90	67.25
6	रोहतास	3440.76	13531.04	2065.06	19065.39	179.58
7	भागलपुर	447.80	15107.90	1776.69	5936.72	(–) 79.52
8	मुंगेर	3533.36	11052.15	2168.31	8569.49	530.33
9	बेगूसराय	799.79	15453.40	1166.30	6009.25	126.58
10	पूर्णियाँ	2264.68	12412.40	2310.59	8954.19	33.66
11	मुजफ्फरपुर	518.91	5461.34	346.15	4179.63	3.06
12	सीतामढ़ी	344.24	10250.15	669.84	3402.22	(–) 55.73
13	मधुबनी	2503.74	8842.25	2097.56	13534.75	(–) 202.60
14	बेतिया	437.48	12764.90	1157.11	8252.12	39.32
15	मोतिहारी	1600.50	12366.50	3313.90	10126.54	7.08
16	सिवान	919.32	20338.92	551.78	6016.83	103.57
17	गोपालगंज	684.31	31204.30	4136.49	10212.75	11.62
18	औरंगाबाद	1666.39	13343.52	2818.86	12418.91	38.24
19	खगड़िया	841.20	2568.45	222.17	9047.78	30.52
20	कटिहार	1982.31	2927.35	994.02	2613.03	66.11
21	वैशाली	967.79	5487.46	108.97	2792.93	2.68
22	समस्तीपुर	1127.16	8344.59	1497.69	10006.14	(–) 385.09

IV. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

अल्पकालीन साख संरचनान्तर्गत प्राथमिक स्तर पर राज्य के प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। पैक्सों में आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाता रहा है जिसके अन्तर्गत पैक्सों में समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े/अतिपिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। पैक्सों के प्रबंधन में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण की भी व्यवस्था है। पैक्सों को ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु संस्थागत सुधार भी किये गये हैं। फलस्वरूप पैक्सों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पैक्सों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण के साथ–साथ खाद, बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवायें आदि भी प्रदान किया जा रहा है। पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबुती प्रदान करने के उद्देश्य से जनवितरण प्रणाली के कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति भी प्रदान कराया गया है। पैक्सों के माध्यम से ही धान एवं गेंहू की अधिप्राप्ति की जा रही है जिससे कृषकों को उनके उत्पाद का सरकार द्वारा घोषित उचित समर्थन मूल्य तो प्राप्त हो ही रहा है साथ ही साथ पैक्सों को भी कृषकों के हितकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्था के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान हो रहा है। भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं यथा समेकित सहकारी विकास परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। लघु उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत चावल मिल गैसीफायर के साथ चावल मिल भी स्थापित किये जा रहे हैं। पैक्सों को सामान्य व्यवसाय विशेषकर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण हेतु कृषि रोड मैप अन्तर्गत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ पैक्स जमावृद्धि व्यवसाय में भी संलग्न है तथा अपने स्त्रोत से कृषकों को अल्पकालीन ऋण मुहैया कराने में सक्षम हो रहे हैं। सुशासन के कार्यक्रम 2016–20 में पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करने हेतु स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से ''मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना'' लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अनुमण्डल के 2 (दो) पैक्सों एवं राज्य स्तर पर 3 (तीन) पैक्सों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किये जाने की योजना है। अनुमंडल स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख, तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले पैक्सों को क्रमशः 10, 07 एवं 05 पाँच लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, ताकि वे अपने कार्यों में वृद्धि कर सकें।

5. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों के लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण, वैधानिक अनिवार्यता है। निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण जाँच अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते है। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन/सत्यापन/त्रुटियों/अनियमितताओं/दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारत्मक उपायों का परामर्श देना है। सहकारी समितियों का अंकेक्षण हेतु विभागीय अंकेक्षकों के पदबल में काफी कमी होने के कारण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का पैनल भी निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा स्वीकृत है, जिन्हें अंकेक्षण मैनूअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौपा गया है।

विगत 3 वर्षों में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत् है :–

क्र० सं०	समितियों की कुल संख्या		अंकेक्षण वर्ष	अंकेक्षण की स्थिति	
	पैक्स	व्यापार मंडल		पैक्स	व्यापार मंडल
1	8463	521	2015–16	8190	424
2			2016–17	7447	353
3			2017–18	5277	227
			(जनवरी, 2019 तक)		

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा–33 (यथा संशोधित 2013) के प्रावधानों के आलोक में सहकारी समिति के लेखाओं का वैधानिक अंकेक्षण समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त, विभाग के सूचीबद्ध सनदी लेखाकार के पैनल या निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय के अंकेक्षकों के द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।

सनदी लेखाकार पैनल के अंकेक्षकों के लिए विभागीय परिपत्र के अन्तर्गत अंकेक्षण शुल्क का निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश भी निर्गत है। इस परिपत्रानुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का अंकेक्षण शुल्क वार्षिक कारोबार अथवा कार्यशील पूँजी के आधार पर निर्धारण की व्यवस्था की गयी है।

बिहार सहकारी समिति नियमावली, 1959 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर समिति का अंतिम लेखा विवरणी निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं अंकेक्षक को समर्पित कर देना है। अंतिम लेखा विवरणी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार नहीं किये जाने के स्थिति में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा उसे सशुल्क तैयार करने का भी प्रावधान है। यदि समिति जान–बूझ कर अपना लेखा एवं अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराते है तो अधिनियम के तहत् कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1996 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पाँच माह के अन्दर विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ को उपलब्ध कराना है। जिसमें अंकेक्षित लेखा भी शामिल है। उक्त प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के अपराध में कारावास अथवा जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है।

6. महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1955–56 में हुई है। जिसमें प्रशासनिक भवन के साथ–साथ प्रशिक्षार्थियों के आवास की सुविधा उपलब्ध है। इस संस्थान के सफल संचालन हेतु संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में एक संचालन कमिटि गठित है। जिसके सचिव प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा हैं, तथा सदस्य के रूप में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी समस्तीपुर एवं प्रबंध निदेशक समस्तीपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ नामित है।

विगत वर्षों में प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यकलाप ठप्प था, वर्ष 2016 में इसे पुर्नजीवित किया गया, जिसके अन्तर्गत तीस प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया गया तथा इस के संचालन हेतु एक कॉरपस फंड का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध सहकारी संस्थाओं से अंशदान के मद में प्राप्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है।

ii. बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰

सहकारिता प्रक्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰ राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था है। इसका गठन वर्ष 1917–18 में हुआ है, इसका निबंधन संख्या 210/1917–18 है। इस संघ का अपना भवन बुद्ध मार्ग, पटना में अवस्थित है। इस संस्था का मुख्य कार्य सहकारी शिक्षा का प्रचार–प्रसार, सहकारी सम्मेलन, सहकारिता सप्ताह का आयोजन एवं सहकारी सेमिनार आयोजित करना रहा है। यह राज्य में निबंधित सभी प्रकार के सहकारी समितियों की एक शीर्ष संस्था है। राज्य के सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी समितियाँ अनिवार्य रूप से इस संस्था के सदस्य हैं। यह संघ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, समिति के कार्यकारिणी सदस्यों एवं आम सदस्यों को शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी शिक्षा की जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ सहकारी प्रक्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं/परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित भी करती है। इस संस्था की आय का मुख्य स्रोत अपने सदस्य समितियों से वसूल की गयी लेवी है। इसके अतिरिक्त फेडरेशन हॉल, गेस्ट रूम आदि के आरक्षण से प्राप्त होने वाली राशि को भी आय का स्रोत बनाया गया है। कर्मचारियों की कमी के कारण लेवी की वसूली भी नहीं हो पाता है।

iii. बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि॰

उपभोक्ता प्रक्षेत्र में यह राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थान है। इस संघ का निबंधन वर्ष 1965 में किया गया है। जिसका निबंधन संख्या– 2 पैट/1965 है। इस संस्था का मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं उपभोक्ता व्यवसाय में संलग्न व्यापार मंडलों को थोक दर पर उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति करता रहा है। संघ का कुल हिस्सा पूंजी 244.53 लाख रू॰ है, जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 239.57 लाख रू॰ है। इस संघ से लगभग राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार सम्बद्ध हैं। अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यवसायिक घाटे के कारण इस संघ का आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। फलस्वरूप इस संघ का कारोवार लगभग ठप है।

iv. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में यह केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के रूप में गठित है। इस समिति का गठन लगभग सभी पुराने अनुमंडलों में है। बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की वित्तीय स्थिति जर्जर हो जाने का कुप्रभाव केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार पर भी परिलक्षित होता है। अधिकांश केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार मृत प्रायः हो गया है।

v. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय है। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

vi. व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि की व्यवस्था के साथ–साथ कृषि उत्पाद का पणन रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) अनिवार्य रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन कर लगभग प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल का गठन किया गया है। गठित व्यापार मडलों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल कर दिया गया है। वर्त्तमान में राज्य में 521 प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल गठित हैं।

1. बिहार राज्य भंडार निगम

स्थापना :–

बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, पटना की स्थापना Agriculture Produce Development and Warehousing Corporation Act, के अन्तर्गत वर्ष 1957, मार्च में की गई थी। Agriculture Produce Development and Warehousing Corporation Act, को निरस्त कर Warehousing Corporation Act-1962 की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन कार्यरत है।

उद्देश्य :–

बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है :–

- राज्य में खाद्यानों, उर्वरकों एवं सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण हेतु गोदाम का अर्जन एवं गोदामों का निर्माण कार्य कराना।
- कृषि उत्पाद, बीज, जैविक एवं रसायनिक उर्वरक, कृषि उपकरण, कीटनाशक एवं रोग नाशक रसायन तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के संचयन के लिए राज्य में गोदामों का परिचालन।
- कृषि उत्पाद, बीज, जैविक एवं रसायनिक उर्वरक, कृषि उपकरण, कीटनाशक एवं रोग नाशक रसायन तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के परिवहन एवं हथलन् की व्यवस्था मुहैया कराना।
- राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम के एजेंसी के रूप में कृषि उत्पाद, बीज, जैविक, एवं रसायनिक उर्वरक, कृषि उपकरण, कीटनाशक एवं रोग नाशक रसायन तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के क्रय–विक्रय, संचयन एवं वितरण में सहयोग कराना।
- अन्य कोई कार्य जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

अंश–पूँजी :–

निगम का अधिकृत अंश–पूँजी 1,000.00 लाख है। निगम में बिहार सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम 50–50 प्रतिशत हिस्सा पूँजी निवेश है। प्रदत्त हिस्सा पूँजी 642.00 लाख है।

वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की उपलब्धि

- राज्य में किसानों के खाद्यान्न के अधिप्राप्ति के लिए भंडारण व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान।
- कुल भंडारण क्षमता – 8.06 लाख मे॰ टन

गोदाम निर्माण :–

(क)	निगम द्वारा पुराना निर्मित गोदाम	2,09,493 मे॰टन
(ख)	कृषि रोड मैप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण	3,10,000 मे॰टन
(ग)	पी॰ई॰जी॰ मोड योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण	2,10,000 मे॰टन
(घ)	किराये का गोदाम	77,069 मे॰टन
	कुल :–	**8,06,526 मे॰टन**

व्यवसाय एवं लाभ में वृद्धि

	2017–18	**2018–19 (अनुमानित)**
कुल आय	: रू॰ 23371.58 लाख	रू॰ 26877.31 लाख
लाभ	: रू॰ 2126.44 लाख	रू॰ 2500.00 लाख

- भंडारण शुल्क में किसानों एवं सहकारी संस्थानों को 10% से 30% तक की छूट।
- अंशधारियों यथा, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम को 20% लाभांश।
- बजट आंकड़े।

वित्तीय कार्यकलाप

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰सं॰	विवरणी	वित्तीय वर्ष	
		2017–18	2018–19
1	2	3	4
1	अधिकृत हिस्सा पूंजी		
	(क) केन्द्रीय भंडार निगम	500.00	500.00
	(ख) राज्य सरकार	500.00	500.00
	(ग) कुल	1000.00	1000.00
2	प्रदत्त हिस्सा–पूँजी		
	(क) केन्द्रीय भंडार निगम	321.00	321.00
	(ख) राज्य सरकार	321.00	321.00
	(ग) कुल	642.00	642.00
3	व्यवसाय से कुल आय	23371.58	26877.31
4	शुद्ध लाभ	2126.44	2500.00
5	बैंक ऋण	0.00	0.00

निगम का भंडारण शुल्क निम्नवत् है :–

खाद्यान्न – (भा॰खा॰नि॰)	रू॰ 86.00 प्रति टन प्रति माह
खाद्यान्न – (रा॰खा॰नि॰)	रू॰ 64.00 प्रति टन प्रति माह
उर्वरक –	रू॰ 58.00 प्रति टन प्रति माह
क्षेत्रफल दर –	रू॰ 13.85 प्रति वर्गफीट प्रति माह
सहकारी संस्थान / समिति –	10 प्रतिशत का छूट
कृषकों के कृषि उत्पाद का भंडारण –	30 प्रतिशत का छूट

अद्यतन मानव बल :–

निगम में कार्यरत कुल मानव बल	–	103
कुल स्वीकृत पद	–	525

सामग्रियों का भंडारण :–

खाद, खाद्यान्न, दाल, बीज, उड़द, मसूर, सीमेन्ट, डी॰डी॰टी॰ अभियंत्रण सामग्री, पुस्तक, कागज, तौलाई मशीन, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक मत–पेटी।

स्थापना–संरचना :–

निगम में कार्यरत कुल प्रमंडल (मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, भागलपुर, पटना, मगध एवं राँची)	–	6
कुल भंडारण गृहों की संख्या	–	52 (बिहार–41, झारखंड–11)

प्रमंडलवार केन्द्र

(राशि लाख रू॰ में)

पटना प्रमंडल		मगध प्रमंडल		मुजफ्फरपुर प्रमंडल		पूर्णियाँ प्रमंडल		भागलपुर प्रमंडल		राँची प्रमंडल	
1	आरा	1	गया	1	बेतिया	1	फारबीसगंज	1	भागलपुर	1	बोकारो
2	बिहारशरीफ	2	सासाराम	2	छपरा	2	गुलाबबाग	2	बरौनी	2	चतरा
3	बक्सर	3	जहानाबाद	3	मोतिहारी	3	कसबा	3	बेगुसराय	3	दुमका
4	फतुहाँ	4	मोहनियाँ	4	मुजफ्फरपुर	4	कटिहार	4	खगड़िया	4	गढ़वा
5	मसौढ़ी	5	वारसलीगंज	5	रक्सौल	5	जानकीनगर	5	जमुई	5	लोहरदगा
6	बिहटा	6	नटवार	6	समस्तीपुर	6	मधेपुरा	6	नवगछिया	6	डालटेनगंज
		7	औरंगाबाद	7	सीतामढ़ी	7	मुरलीगंज			7	गिरिडीह
				8	हाजीपुर	8	गढ़बनेली			8	सिमडेगा
				9	नरकटियागंज	9	सहरसा			9	पाकुड़
				10	दरभंगा	10	किशनगंज			10	सरायकेला
				11	झंझारपुर					11	गोड्डा
				12	गोपालगंज						

अद्यतन भंडारण क्षमता

कुल स्थापित केन्द्रों की संख्या	बिहार 41	झारखण्ड 11	कुल 52
कुल स्वनिर्मित क्षमता किराया पर भंडारण क्षमता	4.79 लाख मे॰टन 0.33 लाख मे॰टन	0 0.44 लाख मे॰टन	4.79 लाख मे॰टन 0.77 लाख मे॰टन
निजी सहभागिता योजनान्तर्गत निर्मित गोदाम क्षमता	2.10 लाख मे॰टन	0	2.10 लाख मे॰टन
कुल भंडारण क्षमता	7.22 लाख मे॰टन	0.44 लाख मे॰ टन	7.66 लाख मे॰टन

कृषकों के लाभार्थ योजनायें :–

- कृषकों की उत्पाद को विपत्ति–विक्रय (Distress-Sale) से सुरक्षा।
- कृषकों के उत्पाद के भंडारण हेतु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम उपलब्ध कराना।
- कृषकों के उत्पाद–संचयन पर 30 प्रतिशत भंडारण शुल्क की छूट।
- कृषि विस्तार सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक भंडारण, तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
- खाद्यान्न अधिग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में विभिन्न स्थलों पर भारतीय खाद्य निगम के द्वारा क्रय किये गये कृषि उत्पाद (धान/चावल/गेहूँ) का वैज्ञानिक भंडारण जिसके फलस्वरूप कृषकों को उत्पाद का संसूचित सरकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है।

निर्माण योजनाएँ :–

सात वर्षीय संचयन गारंटी योजनान्तर्गत गोदामों का निर्माण

निगम द्वारा 20.28 करोड़ की लागत से भारतीय खाद्य निगम के सात वर्षीय गारंटी योजनान्तर्गत 51.00 हजार मे॰ टन क्षमता के आधुनिक प्रौद्योगिक से निर्मित विशेष रूप से खाद्यान्नों के संचयन हेतु गोदाम निर्माण कार्य मुजफ्फरपुर,

सीतामढ़ी, रक्सौल, बेतिया, भागलपुर, आरा, सासाराम, गुलाबबाग, फारबीसगंज में संपादित कराया गया है। अभिवृद्धि भंडारण योजनान्तर्गत निगम के द्वारा वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

हिस्सा–पूँजी से गोदाम का निर्माण :–

मुजफ्फरपुर 4310 मे० टन एवं कसबा जिला–पूर्णियाँ में 6000 मे०टन क्षमता के गोदामों का निर्माण का कार्य निगम वर्ष 2012–13 में पूरा किया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) :–

वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत रू० 26.30 करोड़ की लागत से फतुहाँ–10,000 मे०टन, छपरा–10,000 मे०टन, समस्तीपुर–10,000 मे०टन, मोतिहारी–5,000 मे०टन एवं मोहनियाँ में 5,000 मे०टन, आरा–5,000 मे०टन, एवं सासाराम में 5,000 मे०टन, क्षमता के गोदामों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

कृषि रोड मैप योजना (ARM) :-

कृषि रोड मैप योजना के अन्तर्गत 3,10,000 मे०टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पी.ई.जी. 2008–09 योजना :–

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य मंत्रालय द्वारा बिहार में निजी उद्यमी सहभागिता योजनान्तर्गत 7.20 लाख मे०टन क्षमता के गोदामों के निर्माण की योजना स्वीकृत है जिसके कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य भंडार निगम को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। इस योजनान्तर्गत निजी उद्यमियों द्वारा अपने भूखण्ड पर निगम द्वारा निर्धारित निरूपण, विशिष्टियों एवं मानकों के आधार पर गोदामों का निर्माण कार्य संचालित है। इन गोदामों के उपयोग के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 वर्ष की गारंटी दी गई है। 2,10,000 मे०टन क्षमता का निर्माण कार्य निगम द्वारा पूर्ण कराया जा चुका है।

भौतिक उपलब्धि :–

(राशि लाख रू० में)

क्र.सं०	वित्तीय वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे०टन में)	आभोग (लाख मे०टन में)	आभोग का प्रतिशत	सकल आय (रू० लाख में)	लाभ (रू० लाख में)
1	2017–18	7.56	5.43	72%	23371.58	2126.44
2	2018–19 (अनुमानित)	7.66	6.40	84%	26877.31	2500.00

मुख्य जमाकर्त्ता

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफको, जनगणना निदेशालय, आर.सी.एफ.लि., पुस्तक निगम, बी.एस.एन.एल., शिक्षा परियाजना, व्यापारी, किसान, बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लि0

I. बिहार राज्य सहकारिता बैंक

सीमित संसाधनों के बावजूद भी वर्तमान बैंकिग प्रतिस्पर्द्धा के युग में सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों की भाँति तकनिकी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। राज्य के सभी सहकारी बैंक पूर्णतः सी॰बी॰एस॰ प्रणाली में कार्यरत है तथा अपने ग्राहकों को एन॰ई॰एफ॰टी॰, आर॰टी॰जी॰एस॰, आई॰एम॰पी॰एस॰ रूपे कॉर्ड तथा ए॰टी॰एम॰ आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य में 136 ए॰टी॰एम॰ तथा 715 माईको ए॰टी॰एम॰ की स्थापना की जा चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है। ग्राहकों के बीच लगभग 2.16 लाख रूपे/के॰सी॰सी॰ कॉर्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए॰टी॰एम॰ कॉर्ड वितरित किया गया है। मोबाईल ऐप के द्वारा घर बैठे अभिकर्ता के माध्यम से दैनिक जमा योजना के अन्तर्गत खाता में जमा का सुरक्षित संचालन किया जा रहा है। जमा राशि पर तत्काल 75% ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। पैक्सों को भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है, जिसके लिए नाबार्ड से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होनी है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० में तकनिकी कोषांग गठित किया जा रहा है, जो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की तकनिकी समस्याओं का समाधान करेगा। ग्राहकों को पेमेन्ट वॉलेट, एवं नेट बैंकिंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए बैंक तत्पर है। राज्य सहकारी बैंक से सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ संचार व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से वीडीयो कॉन्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था भी प्रक्रियाधीन है।

II. धान अधिप्राप्ति में आई०टी० का समावेश :–

प्रत्येक वर्ष सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों से धान के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों तथा व्यापारमंडलों द्वारा खरीदारी की जाती है। धान अधिप्राप्ति पैक्स तथा व्यापार मंडल द्वारा किसान से धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का समावेश किया गया।

परन्तु वर्ष 2015–16 से राज्य के किसानों से धान खरीदगी के लिए आधुनिकतम तकनीक का समावेश किया गया। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से इस कार्य के लिए एक वेब एप्लीकेशन तथा मोबाईल एप्लीकेशन विकसित कराया गया तथा उसी वर्ष से मोबाईल के माध्यम से धान की खरीदगी शुरू की गई, जिस कारण इस व्यवस्था में काफी पारदर्शिता आई। धान खरीदारी के पूर्व किसानों का ऑनलाईन निबंधन कराकर उनके क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत पैक्स/व्यापारमंडल को उनसे टैग किया गया तथा निर्धारित तिथि को उनसे धान क्रय करने के लिए उक्त संबंधित पैक्स में निबंधन के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घंटे के भीतर PFMS के माध्यम से सीधे संबंधित किसान के खाते में किया जा रहा है। उक्त सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय, जिला तथा प्रखंड स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। सारे प्रतिवेदनों को रियल टाईम में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में किसानों को आ रही समस्याओं के ऑनलाईन निराकरण के लिए हेल्प लाईन नम्बर तथा ई–मेल उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसानों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाईन ही किया जा रहा है।

III. पैक्सों में सदस्यता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया में आई०टी० का समावेश :–

पंचायत स्तर पर गठित पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी हैं। कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी इच्छुक किसान पैक्स का सदस्य बने। पैक्स की सदस्यता को सुगम बनाने के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से ऑनलाईन ऐप्प विकसित कर क्रांतिकारी पहल की गई है।

राज्य में कुल 8463 पैक्स हैं। चूँकि पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी है, अतः आवश्यक है कि पैक्स के सदस्य बनने की प्रक्रिया सहज हो तथा पुरी प्रक्रिया का विभागीय स्तर पर अनुश्रवण किया जा सके। पैक्सों में ऑनलाईन सदस्यता दिलाने हेतु विभाग के पहल पर राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से पैक्सों में सदस्यता हेतु ऑनलाईन पद्धति से पैक्स में सदस्यता आवेदन देने की व्यवस्था लागू करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित कराया गया जिसका लोकापर्ण 05 सितम्बर 2017 से पूरे राज्य में माननीय मंत्री सहकारिता द्वारा किया गया। इस साफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी वैध पात्र, निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अपने पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पैक्स में सदस्यता पा सकता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय तथा जिला स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। किसानों को सदस्यता हेतु आवेदन देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर के साथ कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया गया है।

IV. बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया में आई०टी० का समावेश :–

बिहार राज्य फसल सहायता योजना शत प्रतिशत Online प्रक्रिया अपनाई गई है। किसानों का निबंधन Online किया जा रहा है। उसके बाद किसानों के आवेदन का सत्यापन का काम Mobile App के माध्यम से किया जा रहा है। उनका भुगतान भी NEFT/RTGS के माध्यम से Online ही किया जाएगा।

V. मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया में आई०टी० का समावेश :–

यह प्रक्रिया पूर्ण तरीके से Online है।

VI. अंकेक्षण में आई०टी० का समावेश :–

समिति के अंकेक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए अंकेक्षण की प्रक्रिया को Online कर दिया गया है।

VII. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया में आई०टी० का समावेश :–

पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना हेतु पैक्सों से हरित कृषि संयंत्र योजना के लिए Online आवेदन किया गया है।

परिशिष्ट – I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex), केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर–साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदुर ग्रामीण क्षेत्रो मे गठित है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित है।
- कृषि उत्पाद का पणन एवं भंडारण के निमित पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुकुटपालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, आद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरों के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर ''धुरद'' शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित है।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित है।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोवस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

परिशिष्ट – II

राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :–

1.	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)	–	8463
2.	व्यापार मंडल सहयोग समिति	–	521
3.	सहकारी उपभोक्ता भंडार (केन्द्रीय+प्राथमिक)	–	1874
4.	प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति	–	379
5.	बचत एवं साख सहयोग समिति	–	327
6.	गृह निर्माण सहयोग समिति	–	2741
7.	औद्योगिक सहयोग समिति	–	2647
8.	विशेष प्रकार की सहकारी समिति	–	393
9.	कुकुटपालन सहयोग समिति	–	237
10.	शीत भंडार सहकारी समिति	–	50
11.	श्रमिक सहकारी समिति	–	4577
12.	ग्रामोदय सहकारी समिति	–	844
13.	महिला विकास सहयोग समिति	–	430
14.	बुनकर सहयोग समिति	–	1089
15.	फलसब्जी उत्पादक सहयोग समिति	–	342
16.	तेल उत्पादक सहयोग समिति	–	474
17.	दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	–	4279
18.	ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समिति	–	76
19.	सिंचाई सहयोग समिति	–	557
20.	संयुक्त कृषि सहयोग समिति	–	406
21.	नाव यातायात सहयोग समिति	–	89
22.	चर्मकार सहयोग समिति	–	187
23.	परिवहन सहयोग समिति	–	172
24.	सर्वोदय सहयोग समिति	–	54
25.	सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समिति	–	7887
			39095

(नोटः– पैक्स व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृत प्रायः है जिसे परिसमापित किया जा रहा है।)

गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या :–

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	2010–11	2011–12	2012–13			2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18	2018–19			कुल
				1000 मे॰ टन॰	500 मे॰ टन॰	200 मे॰ टन॰	200 मे॰ टन॰	500 मे॰ टन॰	200 मे॰ टन॰	500 मे॰ टन॰	200 मे॰ टन॰	500 मे॰ टन॰	200 मे॰ टन॰	500 मे॰ टन॰	200 मे॰ टन॰	1000 मे॰ टन॰	500 मे॰ टन॰	200 मे॰ टन॰	
1	बाँका	2	20	2	–	20	12	–	12	–	28	2	7	–	11			7	123
2	भागलपुर	–	2	2	2	19	4	–	33	–	6	–	12	1	8			10	99
3	समस्तीपुर	3	–	3	6	50	45	–	38	2	32	3	13		20	1	1	25	242
4	दरभंगा	–	–	3	1	3	30	–	34	4	16	1	12		7				111
5	मधुबनी	–	–	7	4	33	31	–	21	–	2	–	17		–		6	25	146
6	गया	–	–	–	–	32	86	9	42	5	13	–	10	1	12		3	2	215
7	नवादा	2	–	2	–	30	60	–		–	17	6	11		4			3	135
8	औरंगाबाद	1	38	12	10	67	20	–	29	–	–	–			–				177
9	जहानाबाद	–	–	–	–	15	17	–	31	6	–	–			–				69
10	अरवल	–	–	2	2	12	–	–	6	–	–	–	7		7			3	39
11	लखीसराय	5	3	1	–	11	–	–	10	3	3	–	2		2		3	7	50
12	बेगूसराय	–	5	2	4	24	10	–	7	–	26	3	5		–				86
13	मुंगेर	–	–	–	–	27	–	–	4	–	1	–	7		1			8	48
14	जमुई	–	–	2	7	8	37	–	37	3	9	–	4		4		2	11	124
15	शेखपुरा	–	–	1	–	18	1	–	3	3	7	–	1		2		1	1	37
16	खगड़िया	–	–	2	–	–	–	–	11	–	2	1	5		–		1	1	23
17	सीवान	20	–	2	4	20	51	–	9	–	10	–	8		13		2	19	158
18	गोपालगंज	4	–	–	5	20	–	–	34	–	1	–	4		6		1	12	87
19	सारण	–	8	–	2	17	–	3	3	1	8	–	20		25		7	9	103
20	रोहतास	10	16	5	–	40	76	4	1	2	16	8	14		11	1	5	6	215
21	भोजपुर	6	9	4	–	30	–	2	8	4	8	1	6		8		1	9	96
22	पटना	19	–	1	1	50	32	1	10	–	18	4	13		23	3	6	15	196
23	कैमूर	12	–	–	1	–	–	–	8	–	45	5	5		3	5	13	8	105
24	नालन्दा	8	–	8	2	–	–	2	1	1	–	–	7		14		1	7	51
25	बक्सर	–	3	–	1	28	45	–	2	–	–	–	5		–		3	2	89
26	मुजफ्फरपुर	15	7	4	7	53	53	6	7	–	14	–	16		11	6	4	13	216
27	बेतिया	11	–	6	–	20	39	5	1	10	1	–	10		–				103
28	वैशाली	2	–	3	1	–	–	–	5	2	37	2	5		33	5	1		95
29	मोतीहारी	–	–	5	1	20	24	–	–	–	3	1	26		2			3	85
30	सीतामढ़ी	–	–	1	–	20	22	1	33	2	52	3	4		7		2	14	161
31	शिवहर	–	–	–	1	–	–	–	3	–	22	1			–				27
32	सुपौल	–	8	4	2	21	47	2	14	1	7	1	4		6	5	1	8	130
33	मधेपुरा	–	–	3	3	20	19	3	11	1	1	–	7		15	1	5	2	91
34	सहरसा	–	–	1	–	11	55	–	–	1	–	–	6	1	11	5	11	11	113
35	पूर्णिया	–	12	5	1	20	20	–	–	–	–	–	9		–				67
36	अररिया	–	–	3	2	20	6	–	52	4	–	–	5		5			9	106
37	कटिहार	–	–	2	1	10	25	2	15	–	–	–	11		1	1	2	16	86
38	किशनगंज	–	–	2	7	30	17	–	–	–	–	–	3	–	5			8	72
कुल–		120	131	100	78	819	884	40	535	55	405	42	301	3	277	33	82	274	4179

चावल मिल–सह–गैसीफायर एवं विद्युत आधारित चावल मिल (2MT) निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या :–

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	2008–09	2010–11	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17	2017–18	2018–19	कुल
				पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स / व्यापार मंडल	पैक्स / व्यापारमंडल	पैक्स / व्यापारमंडल	
1	बाँका	1	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	5	–	12
2	भागलपुर	2	2	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–	1	13
3	समस्तीपुर	–	2	2	–	3	1	–	–	3	1	–	6	–	18
4	दरभंगा	–	1	1	1	2	–	3	1	1	–	–	2	–	12
5	मधुबनी	–	1	1	1	4	1	1	–	1	–	–	2	–	12
6	गया	2	2	2	–	3	–	1	–	–	2	–	7	–	19
7	नवादा	1	1	1	–	–	–	–	–	6		–	2	–	11
8	औरंगाबाद	3	6	7	–	5	–	–	–	–	–	–	5	–	26
9	जहानाबाद	1	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	1	–	7
10	अरवल	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	4
11	लखीसराय	–	3	1	–	2	–	1	–	3	–	–	1	–	11
12	बेगूसराय	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	4
13	मुंगेर	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	1	7
14	जमुई	–	–	2	–	4	1	–	3	2	–	–	2	–	14
15	शेखपुरा	–	–	2	–	3	1	–	–	3	–	–	–	–	9
16	खगड़िया	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3
17	सीवान	3	4	2	–	3	1	–	–	2	–	–	1	–	16
18	गोपालगंज	–	–	3	–	4	–	3	–	–	–	–	4	–	14
19	सारण	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	5	–	10
20	रोहतास	2	3	5	1	3	–	14	3	16	5	–	6	–	58
21	भोजपुर	1	1	2	–	4	–	–	–	–	–	–	7	–	15
22	पटना	3	2	1	–	–	–	1	–	3	–	–	7	–	17
23	कैमूर	2	4	1	–	1	–	6	–	5	–	–	6	–	25
24	नालन्दा	–	3	6	1	4	–	5	–	–	–	–	5	–	24
25	बक्सर	2	4	2	1	2	1	4	–	–	–	–	–	1	17
26	मुजफ्फरपुर	3	1	2	–	4	–	–	–	3	–	–	2	–	15
27	बेतिया	1	4	2	1	2	–	6	–	–	–	–	–	1	17
28	वैशाली	2	3	3	–	2	–	–	–	4	–	–	–	–	14
29	मोतीहारी	3	1	3	–	2	–	1	–	–	–	–	4	–	14
30	सीतामढ़ी	2	3	1	–	–	–	3	–	5	–	–	–	–	14
31	शिवहर	–	–	1	–	3	–	1	–	3	–	–	–	–	8
32	सुपौल	1	1	1	–	1	1	3	1	5	–	–	3	–	17
33	मधेपुरा	–	2	2	–	5	–	1	–	–	–	–	2	–	12
34	सहरसा	–	–	1	–	3	–	2	–	–	–	–	2	–	8
35	पूर्णियाँ	–	1	2	1	3	1	–	1	–	–	–	2	–	11
36	अररिया	–	–	2	–	3	–	2	–	5	1	–	3	–	16
37	कटिहार	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	7
38	किशनगंज	2	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	8
कुल		40	58	73	10	94	11	60	9	74	11	0	93	6	539

परिशिष्ट – IV

(विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना)

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिनके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यरत है।

निम्नांकित चार्ट से संगठनात्मक स्वरूप परिलक्षित होगा :–

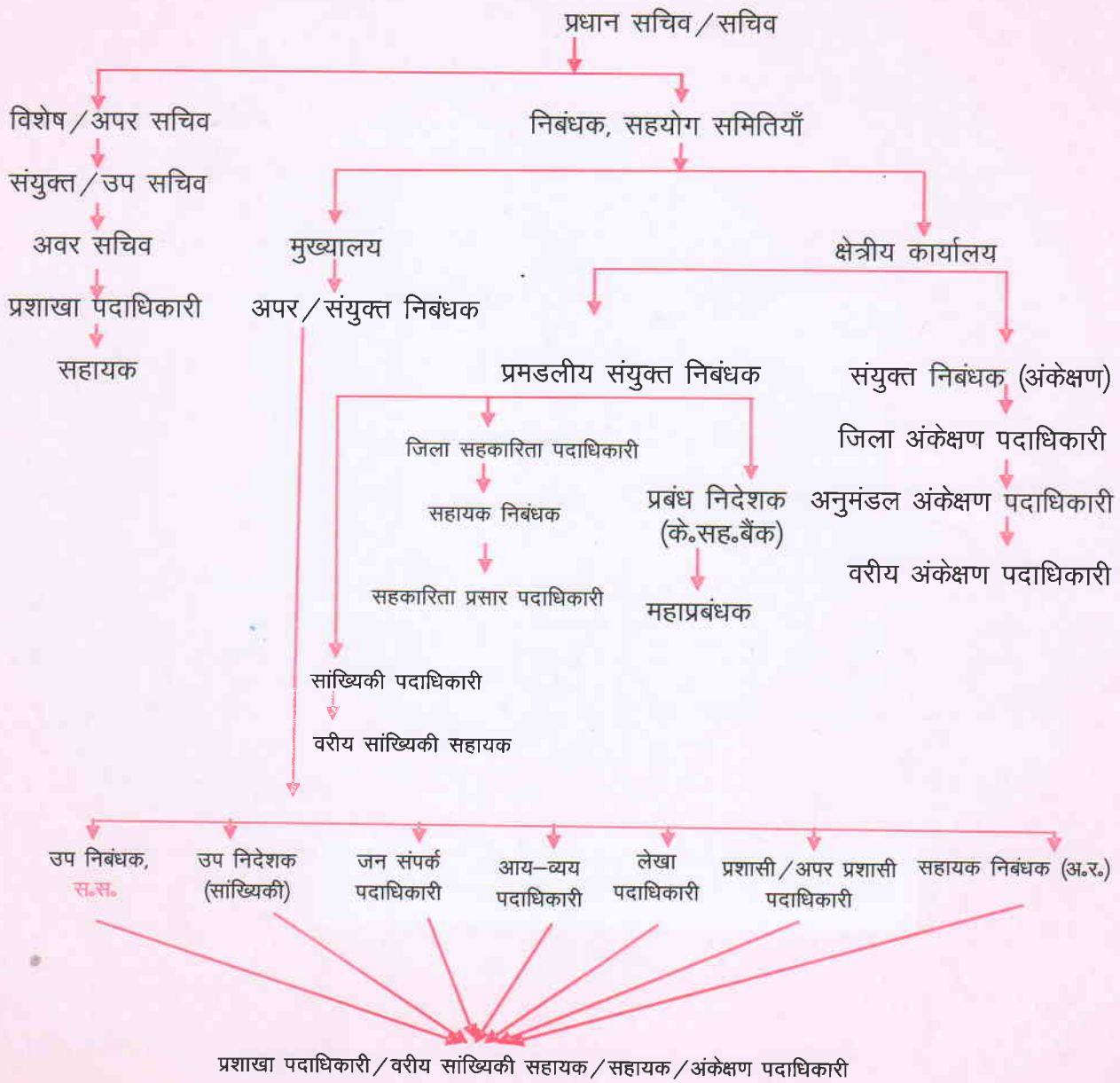

परिशिष्ट – V

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :–

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना	1 पटना सदर 2. बाढ़ 3. पटनासिटी 4. दानापुर 5. मसौढ़ी	1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना
	2. नालन्दा	6. बिहारशरीफ 7. हिलसा		2. नालंदा
	3. भोजपुर	8. आरा		3. भोजपुर
	4. बक्सर	9. बक्सर 10. डुमराँव		
	5. रोहतास	11. सासाराम 12. बिक्रमगंज		4. रोहतास
	6. कैमूर	13. कैमूर		
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया	14. गया 15. शेरघाटी	.2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	5. गया
	8. जहानाबाद	16. जहानाबाद		
	9. अरवल	17. अरवल		
	10. औरंगाबाद	18. औरंगाबाद		6. औरंगाबाद
	11. नवादा	19. नवादा		7. नवादा
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर	20. मुजफ्फरपुर पूर्वी 21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी	3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	8. मुजफ्फरपुर
	13. वैशाली	22. हाजीपुर		9. वैशाली
	14. सीतामढ़ी	23. सीतामढ़ी 24. पुपरी		10. सीतामढ़ी
	15. शिवहर	25. शिवहर		
	16. मोतिहारी	26. मोतिहारी 27. सिकरहना		11. मोतिहारी
	17 बेतिया	28. बेतिया 29. बगहा		12. बेतिया

4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा	30. दरभंगा 31. बेनीपुर	4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	13. दरभंगा
	19. मधुबनी	32. मधुबनी 33. झंझारपुर 34. बेनीपट्टी		14. मधुबनी
	20. समस्तीपुर	35. समस्तीपुर 36. दलसिंहसराय 37. रोसड़ा 38. पटोरी		15. समस्तीपुर
5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	21. सारण	39. छपरा 40. सोनपुर	5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	16. सारण
	22. सिवान	41. सिवान		17. सिवान
	23. गोपालगंज	42. गोपालगंज		18. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर	43. भागलपुर 44. नवगछिया	6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	19. भागलपुर
	25. बांका	45. बांका		20. मुंगेर
	26. मुंगेर	46. मुंगेर		
	27. जमुई	47. जमुई		
	28. शेखपुरा	48. शेखपुरा		
	29. लखीसराय	49. लखीसराय		
	30. बेगूसराय	50. बेगूसराय		21. बेगूसराय
	31. खगड़िया	51. खगड़िया		22. खगड़िया
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा	52. सहरसा 53. बीरपुर 54. त्रिवेणीगंज	7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा	23. सहरसा
	33. सुपौल	55. सुपौल		
	34. मधेपुरा	56. मधेपुरा 57. उदाकिशनगंज		
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	35. पूर्णियाँ	58. पूर्णियाँ		24. पूर्णियाँ
	36. अररिया	59. अररिया		
	37. किशनगंज	60. किशनगंज		
	38. कटिहार	61. कटिहार		25. कटिहार

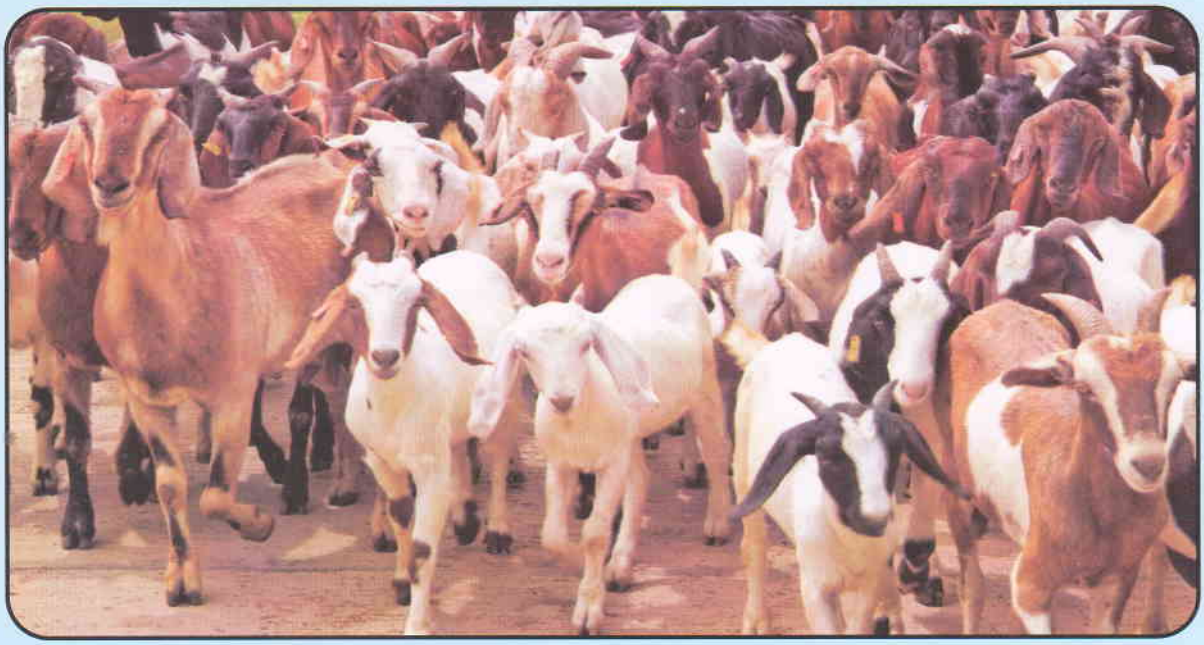

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

Printed at : Indian Arts Offset, Basement of S.B.I., Mahendru, Patna - 6
(O) 0612 - 2678074 (M) 72578 87860, 94310 11172, e-mail : indianartsoffset@yaho